बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को डराने का प्रयास : उनके खिलाफ एक्शन होगा यह चर्चा चलाई जा रही है

कानाफूसी यह भी फैलायी जा गयी है कि जमीन पर कब्जे के एक साल पुराने केस में की जा सकती है गिरफ्तारी

जयपुर, (का.सं.)। अपनी ही सरकार में तीखे सवाल पूछने के लिये चर्चित और अब सदन में दिए गए बयान के बाद मंत्री पद से बर्खास्त किए गए राजेंद्र सिंह गुढ़ा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बहु प्रचारित चर्चा के अनुसार एक और तो उनके पुराने मामलों को लेकर फाइलें सीआईडी सीबी को भेज दी गई है वही उनके नजदीकी लोगों पर भी कार्यवाही शुरू हो गई है वही राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने गुढ़ा पर जल्द ही मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। क्या पूर्व मंत्री गुढ़ा पर मामले दायर करने का यह सिलसिला वाजिब है या केवल डराने-धमकाने की तकनीक?

राजस्थान सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा से जुड़े एक साल पुराने जमीनी विवाद से जुड़े केस की फाइल अब पुलिस महानिरीक्षक ऑफिस से सीआईडी-सीबी को भेजी गई है। इसी के साथ सरकार ने गुढ़ा के करीबियों पर भी एक्शन शुरू करते हुए भ्रष्टाचार के मामले में गुढ़ा के करीबी उदयपुरवाटी नगर पालिका के चेयरमैन रामनिवास सैनी को स्वायत शासन विभाग ने दो दिन पहले ही सस्पेंड कर दिया है।

दरअसल जिस मामले की फाइल सीआईडी सीबी में भेजी गई है, उसी मामले में पहले गुढ़ा के निजी सहायक दीपेंद्र सिंह और साले अभय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब कहा जा रहा है कि पुलिस पूछताछ और जांच में गुढ़ा की भी भूमिका बताई जा रही है। जिस किसकी बात हो रही है। दरअसल वह एक साल पहले जयपुर ग्रामीण के गोविंदगढ़ थाने के बलेखन गांव का है। यहां दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले डॉ बनवारी लाल मील के हॉस्पिटल पर 20 अगस्त 2022 को कब्जा करने के लिए बड़ी संख्या में बदमाश गुढ़ा के साले

> ■ मंत्रियों को रेपिस्ट कहने के आरोप में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने का डर दिखाया जा रहा है

अभय सिंह क साथ पहुच थ। उस दारान घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से 14 लोगों को हॉस्पिटल पर कब्जा करने के मामले में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पुलिस ने गुढ़ा के निजी सहायक दीपेन्द्र सिंह और बिल्डर सत्यनारायण गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने राजेन्द्र गुढ़ा को भी आरोपी मानते हुए नामजद किया था। उस समय गुढ़ा मंत्री थे, इसलिए पुलिस कार्यवाही करने से बचती रही।

अब कहा जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय की सीआईडी (सीबी) ने केस की फाइल पर गुढ़ा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। जयपुर ग्रामीण पुलिस इस केस में अपना पूरा काम कर चुकी है और उसके बाद फाइल को सीआईडी सीबी के पास भेजा गया है। ऐसे में अब गुढ़ा की गिरफ्तारी हो सकती है। नियमानुसार विधायक या मंत्री के खिलाफ दर्ज केस की जांच सीआईडी सीबी से कराना होता है। इसलिए फाइल को पुलिस मुख्यालय में सीआईडी सीबी के पास भेजी गई है।

इधर बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। गुढ़ा ने विधानसभा में हुए सारे घटनाक्रम के बाद मीडिया के सामने मंत्री महेश जोशी सहित कई मंत्रियों को रेपिस्ट करार दिया था। जोशी ने पीसीसी में मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ मानहानि की एफआईआर दर्ज करवा रहा हूं। वकीलों से राय ले रहा हूं, उसके बाद थाने जाकर केस करूंगा। जिस तरह के आरोप उन्होंने मुझ पर लगाए हैं, उसका जवाब उन्हें कोर्ट में देना होगा।

महेश जोशी ने कहा कि राजेंद्र गुढ़ा ने बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास किया है। एक चीज को डायरी जैसा बताया जा रहा है जो डायरी लग ही नहीं रही। अगर उनके पास कोई लाल डायरी है, तो बताना चाहिए कि उस लाल डायरी में क्या है? गुढ़ा विधानसभा में जिसे लाल डायरी बताकर लहरा रहे थे, वे खुद चाह रहे थे कि वह इधर उधर हो जाए जिससे कि बाद में वे कह सकें कि वह खो गई। कांग्रेस के किसी विधायक के पास वह कथित डायरी है या गुढ़ा ने उसे कहीं फेंक दी, वो तो वही जाने।

जोशी ने कहा कि गुढ़ा जिस समय विधानसभा में डायरी लहरा रहे थे, उसके कुछ देर बाद ही बीजेपी विधायक भी छोटी-छोटी लाल डायरियां लेकर आ गए। जिस समय गुढ़ा मामला उठा रहे थे, उसी समय बीजेपी के विधायक भी लाल डायरियां लहरा रहे थे। यह साजिश की तरफ साफ इशारा कर रहा है। बिना मिलीभगत ऐसा नहीं हो सकता।

डीसीपी के आदेश पर दुष्कर्म पीड़िता की एफ.आई.आर.दर्ज

जयपुर। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने डीसीपी ईस्ट के आदेश पर एक युवती के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और एससी-एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की है। पीड़िता ने डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव को बताया कि उसके साथ विक्रम सिंह नाम के एक युवक ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने इसका एक विडियो भी बनाया और आए दिन उसे वीडियो वायरल करने के नाम पर धमकाता रहता है। आरोपी से परेशान होकर पीड़िता ने महेश नगर थाने में शिकायत दी लेकिन यहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।

गत 17 जुलाई को पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में शिकायत दी लेकिन पुलिस ने राजीनामा करवा कर घर भेज दिया। जिस पर पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी डीसीपी को दी, जिस पर एयरपोर्ट थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि डीसीपी के आदेश पर युवती की शिकायत दर्ज कर ली है। आरोपी विक्रम सिंह उसी की कॉलोनी में रहता था। आरोपी ने जबरन उसके घर पर घुसकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया और इसकी उसने फोटो और वीडियो भी बना लिए। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने इस संबंध में किसी को बताया तो वह उसकी फोटो और वीडियो को वायरल कर देगा। उसे और उसकी फैमिली को बदनाम कर देगा। जिसके कारण पीड़िता ने इस संबंध में किसी को कोई बात नहीं बताई। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने शिकायत दी है कि विक्रम सिंह वीडियो और फोटो के आधार पर पीड़िता को बार-बार ब्लैकमेल कर रहा है। साथ ही अब वह पीड़िता को अन्य लोगों के पास संबंध बनाने के लिए भी भेज रहा है। इसके भी आरोपी ने वीडियो बना लिए हैं। पीड़िता ने बताया कि एक बार उसने महेश नगर थाने में आरोपी विक्रम सिंह के खिलाफ शिकायत दी थी। विक्रम सिंह ने अपनी पहुंच के कारण कोई कार्यवाही नहीं होने दी। जिस कारण से पीड़िता विक्रम सिंह से काफी डरी हुई है।

जयपुर में बुधवार को हुई तेज बरसात से शहर में हर तरफ लंबा जाम लग गया। सीकर रोड पर ढेर के बालाजी व झोटवाड़ा में बरसाती पानी सड़क पर जमा होने से पानीपेच से चौमूं पुलिया तक भारी ट्रेफिक जाम लगा रहा जिससे वाहन रेंग रेंग कर चलते रहे।

'वेतन वृद्धि तिथि के एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी भी वृद्धि के हकदार'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता करीब डेढ़ सौ सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में अदालत ने फैसला दिया है कि वे सरकार से प्रतिवर्ष काम करने के लिये वेतन में अनुमानित वृद्धि के हकदार हैं, चाहे वे इस वृद्धि को लागू करने की तिथि से एक दिन पहले सेवानिवृत्त हो गये हों।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से मुख्य तौर पर अधिवक्ता विज्ञान शाह, संदीप सक्सैना, लोकेन्द्र सिंह, हनुमान चौधरी, शाश्वत पुरोहित, तनवीर अहमद पैरवी के लिये पेश हुए थे। न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ ने यह आदेश विजयसिंह व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये।

> ■ न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ ने यह आदेश विजयसिंह व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये।
>
> ■ उल्लेखनीय है कि सामान्य परिस्थितियों में ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति महीने के अंत में होती है। वर्तमान मामलों में 24 घंटों में ही उन्हें वेतन वृद्धि से वंचित कर दिया जाता था।

इस मामले में कई सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी क्योंकि वे 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे थे जबकि 1 जुलाई से उन्हें वेतन में वृद्धि मिलती। उल्लेखनीय है कि सामान्य परिस्थितियों में ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति महीने के अंत में होती है। वर्तमान मामलों में 24 घंटों में ही उन्हें वेतन वृद्धि से वंचित कर दिया जाता था।

अदालत के समक्ष यह मुद्दा था कि पूरे साल काम करने के बाद अगर सरकारी कर्मचारी वेतन में वृद्धि प्राप्त करने से एक दिन पहले ही सेवानिवृत्त हो जाये तो वह वेतन में वृद्धि के लिये योग्य नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि इन सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि से वंचित रखना नीति और कानून के उद्देश्य से गलत होगा।

उनका कहना था कि राज्य सरकार अपने दायित्व से मनमाने तरीके से अपना हाथ नहीं छुड़ा सकती। अदालत ने सभी तर्कों को सुनने के बाद राज्य सरकार को कहा कि याचिकाकर्ताओं को वेतन वृद्धि दी जाये और अगले तीन महीनों में बकाया पेंशन भुगतान भी करे।

अब संविदा कार्मिकों को भी पूर्व में की गई सेवा का लाभ मिल सकेगा

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार के विभिन्न अधिसूचना प्रस्तावों को मंगलवार को स्वीकृति प्रदान की है।

संविदा कार्मिकों को पूर्व में की गई सेवा का लाभ राज्य सेवा की उस प्रस्ताव अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की है जिसके अंतर्गत अन्य सेवाओं से आईएएस में चयन (राजस्थान कांटेक्ट्रैचूअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल 2022) की ही तरह संविदा कार्मिकों को भी पूर्व में की गई सेवा का लाभ मिल सकेगा।

मिश्र ने मंगलवार को संविदा कर्मियों को नवीन संविदा नियमों में आने से पहले की सेवा से लाभ दिए जाने संबंधित संशोधन अधिसूचना जारी करने संबंधी प्रस्ताव की मंत्रिमंडल आज्ञा का अनुमोदन किया है।

इसी तरह राज्यपाल ने शासन सचिवालय, अधीनस्थ कार्यालयों और राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित मंत्रालयिक सेवा नियमों में शीघ्रलीपिक, निजी सहायक पाठ्यक्रम में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को वेटेज देने संबंधित प्रावधान के प्रस्तावित संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की है।

राज्यपाल ने राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भांति पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के सीधी भर्ती में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में इनकी रिक्तियों को तीन भर्ती वर्षों तक अग्रेषित किए जाने हेतु विविध सेवा नियमों में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

सभी सेवा नियमों में समरूपता लाने के अंतर्गत 'रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज फॉर शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स' के उपनियम चार में संशोधन किए जाने हेतु प्रस्तावित अधिसूचना का अनुमोदन किया है। सेवा नियमों में यह संशोधन अधिसूचना लागू होने से 17 जनवरी, 2013 के प्रावधान लागू हो जाएंगे।

शहीद मीणा के परिजनों को तैल चित्र भेंट

जयपुर, (का.सं.)। शहीद राजेंद्र प्रसाद मीणा के पिता शंभू दयाल मीणा वीरांगना ममता मीणा पुत्र योगेश व पुत्री काव्या को राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राजभवन में जाने-माने चित्रकार चंद्र प्रकाश गुप्ता की ओर से तैयार शहीद का तैल चित्र भेंट किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने शहीद के पिता शंभू दयाल मीणा से परिवार की कुशलक्षेम भी पूछी इस मौके पर चित्रकार चंद्रप्रकाश गुप्ता व एडवोकेट यूनुस खान भी मौजूद थे।

चित्रकार गुप्ता अब तक 300 से भी अधिक शहीदों के तैल चित्र तैयार कर उनके परिजनों को भेंट कर चुके हैं उल्लेखनीय है कि दौसा जिले के दिलावरपुर गांव के राइफलमैन राजेंद्र प्रसाद मीणा 13 नवंबर 2021 को मणिपुर के विहंग कस्बे में आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे

28 जिलों में खुलेंगे विवेकानन्द यूथ हॉस्टल

जयपुर। प्रदेश के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब जिला मुख्यालयों में आवास की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 28 जिलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हॉस्टल निर्माण के लिए 78.18 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

विवेकानंद यूथ हॉस्टल के निर्माण पूर्ण होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 84 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इन हॉस्टल में 50-50 आवासीय क्षमता होगी। गौरतलब है कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा युवा आवास पूर्व से ही संचालित हैं।

नेवटा बांध और कानोता बांध बनेगा ईको एडवेंचर टूरिज्म साइट

जयपुर, (का.सं.)। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के नेवटा और कानोता बांध को अब ईको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार इनमें विकास कार्यों पर 6.24 करोड़ रुपए व्यय करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

जयपुर स्थित कानोता बांध पर लगभग 2.48 करोड़ रुपए की लागत से बर्ड वॉचिंग प्लेटफार्म, छतरी का निर्माण, 600 मीटर लम्बी पैरापेट दीवार सहित विभिन्न प्रकार के निर्माण किए जाएंगे।

> ■ राज्य सरकार इनमें विकास कार्यों पर 6.24 करोड़ रुपए व्यय करेगी

नेवटा बांध पर लगभग 3.75 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे। यहां प्रवेश द्वार से बांध की तरफ जाने वाला मार्ग भी बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

राजस्थान राज्य अहिल्या बाई होल्कर बोर्ड का गठन

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य अहिल्या बाई होल्कर बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड गडरिया (गाडरी), गायरी, घोसी (गवाला), पूर्बिया (धनगर, गाडरी) जाति वर्ग की स्थिति का जायजा लेकर, प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सुझाव देगा।

वन संरक्षण विधेयक, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के मद्देनजर महत्वपूर्ण है : दीया कुमारी

जयपुर। राजसमंद सांसद दीया कुमारी ने आज संसद में वन संरक्षण विधेयक 2023 का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन (क्लाईमेट चेंज) निस्संदेह एक वैश्विक चुनौती है और भारत ने इसके प्रभाव से निपटने के लिए कार्बन सिंक बनाने का जिम्मा उठाया है। यह बिल नए वनों की स्थापना और वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करके देश के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जो 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन 2 के बराबर कार्बन सिंक बनाने की प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

राजसमंद सांसद सदन में वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा के दौरान बोल रही थीं। वह

> ■ संसद में आज चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करता है, यहां तक कि उन क्षेत्रों को भी जिन्हें आधिकारिक तौर पर वन के रूप में नामित नहीं किया गया है

इस विधेयक की संयुक्त संसदीय समिति की सदस्य भी हैं, जिसने सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले इसके सभी पहलुओं का अध्ययन किया था और सभी हितधारकों से विस्तार से परामर्श किया था। सांसद दीया कुमारी ने आगे बताया कि विधेयक रणनीतिक परियोजनाओं के लिए छूट प्रदान करता है, विशेष रूप से भारत की सीमा के 100 किमी के भीतर, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने सदन में कहा, "हम संरक्षण और राष्ट्रीय हित के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की आवश्यकता को समझते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे देश के लिए अत्यधिक महत्व की परियोजनाएं कड़े नियमों से बाधित न हों।" उनकी राय थी कि पिछले कुछ वर्षों में वन भूमि की मांग तेज होने के साथ, प्रस्तावित संशोधन हमारे महत्वपूर्ण वन संसाधनों की सुरक्षा और समाज की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बनाते हैं। उन्होंने कहा यह वन क्षेत्रों की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करता है, यहां तक कि उन क्षेत्रों को भी जिन्हें आधिकारिक तौर पर वन के रूप में नामित नहीं किया गया है। विधेयक अनुमत वन गतिविधियों की सूची को भी विस्तृत करता है। चिड़ियाघर, सफ़ारी और इको-पर्यटन सुविधाओं का समावेश स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हुए वन संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। दीया कुमारी ने पर्यावरण की रक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेन्द्र यादव का आभार व्यक्त किया।